संख्या:23/2020/243 ई-2/तेरह-2020-139/2013

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2020

विषय: मेसर्स मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा.लि., बिजनौर को पेय मदिरा का निर्माण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-64/दो-प्रा.डी.-70, दिनांक 11-10-2019 एवं पत्र संख्या-जी-103/दो-प्रा.डी.-70/मोहित पेट्रो केमिकल्स, दिनांक 27-01-2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 17-02-2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-450 ई-2/तेरह-2020-205/97, दिनांक 20-02-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा.लि., बिजनौर को शासन द्वारा स्वीकृत क्षमता 330 लाख ली. वार्षिक का 60 प्रतिशत अर्थात 198 लाख लीटर तक प्रतिवर्ष पेय मदिरा का निर्माण किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि आसवक आसवनी की क्षमता विस्तार किये जाने के पश्चात् ही उक्त क्षमता के अनुसार पेय मदिरा निर्माण किये जाने हेतु अधिकृत होंगे तथा आसवनी उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5) (ज)(झ) का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा संगत शासनादेशों के अधीन आसवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स, उद्योग मंत्रालय एवं उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये केन्द्र/राज्य के संगत प्राविधानों/नियमों/विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in